

the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Bharat Aluminium Co. Limited New Delhi, for the year 1976-77.

(2) Annual Report of the Bharat Aluminium Company Limited, New Delhi, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in library. See No. LT-1430/77]

AUDIT REPORT ON ACCOUNTS OF CENTRAL BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION FOR 1976-77

निर्माण और आवास तथा श्रुति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किकर) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के वर्ष 1976-77 के लेख सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in library. See No. LT-1431/77].

ANNUAL ASSESSMENT REPORT *Re.* HINDI FOR 1973-74 and 1974-75

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Assessment Report (Hindi and English versions) on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union for the years 1973-74 and 1974-75.

प्र० पी० जी० मावसंकर (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आइटम 7 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जान-बूझ कर हिन्दी में बोल रहा हूँ। अभी श्री मंडल ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संघ-भाषा के ताने हिन्दी के उपयोग में गति लाने के लिए बनाये गये कार्यक्रम और उसकी

समीक्षा की रिपोर्ट को सदन के टेबल पर रखा है। आप देखेंगे कि 1973-74 और 1974-75 की रिपोर्टों को आज सदन के सामने रखा जा रहा है, जबकि 1977 का साल खत्म होने जा रहा है। उन वर्षों के दौरान हिन्दी के उपयोग में कितना विस्तार हुआ और इस सम्बन्ध में क्या दिक्कतें पैदा आईं, जब इस बारे में रिपोर्ट आज हमारे सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के सिलसिले में उतने गंभीर नहीं हैं, जितना कि हमें संविधान के प्रावधान और संसद् के निर्णय के अनुसार होना चाहिए। जब हमें कहते हैं कि संघ-भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का उपयोग, और उसकी प्रतिष्ठा, बढ़नी चाहिए, तो हर एक मिनिस्ट्री को पूरे भागीदारी के साथ उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब इस विषय की रिपोर्ट ही दो-दो साल के बाद हमारे सामने रखी जाती है, तो इससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भारत सरकार के बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें अंग्रेजी के साथ इतनी मुहब्बत है कि वे हिन्दी के संबंध में संविधान के प्रावधान और इस संसद् द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना चाहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रधान मंत्रीजी और सरकार की—हम मानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक है—इस बारे में कुछ कहें।

MR. SPEAKER : Mr. Mavlanar, you can only raise it. This is not an occasion to make speeches.

STATEMENTS *Re.* ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON VARIOUS ASSURANCES GIVEN BY MINISTERS

धर्म तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साह) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के